



न्यायालय श्रीमान अद्वैत राजेश भण्डल वरालिखर
केम्प - ओपाल

PBR/पुनर्स्थापना/ओपाल/शु.स/2018/2083

प्रा.क्र. पी.डी.आर./नि.ग/ओ.प/शु.स/18/01162

भागीरथ माली - - - निगमानीकर्ता
विशुद्ध

अवधनप्रियण - - - गैर निगमानीकर्ता

आवेदन पत्र अनंतिम धारा 35(3) म.उ.शु.स.मेंदिला

महोदय,

निगमानीकर्ता की ओर से निम्न प्रकार निवेदन है।-

- यह कि उक्त प्रकार माननीय न्यायालय के अग्रिम दिनांक 23/2/2018 को आदेशता पर सुनवाई हेतु निम्न या निम्नका पुनरीक्षण प्रकार क्रमांक पी.डी.आर./निगमानी/ओपाल/शु.स./2018/01162 पर दर्ज है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग-अ

प्रकरण क्रमांक P.P.R./Res.Hy.B.P.U.L.C./2018

भागीरथ माली

विरुद्ध

अवधि नारायण

तहसील

ड्डूर

जिला

भोपाल

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक.

अनुविभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. तहसील का प्रकरण क्रमांक.

वाद का विषय

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
28-3-18 Dharam	<p>आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला</p> <p>के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक.</p> <p>के विरुद्ध श्री <u>अरिक्लेस तिवारी</u></p> <p>के अभिभावक द्वारा अपील/पुनरीक्षण/पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है।</p> <p>पुनरावलोकन अवधि बाह्य है/नहीं है/मुद्रांक शुल्क पूर्ण है/. रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील/पुनरीक्षण/पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है/ नहीं है। अपील/पुनरीक्षण/पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं/ नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है/ नहीं दिया है।</p> <p>आवेदन अतिवृत्त श्री <u>अरिक्लेस तिवारी</u> उप.। उन्हे रेस्टोरेशन पर पुनः विचारोपगत रेस्टोरेशन आवेदन स्वीकार किया जाकर मूल प्रमाण रु. १८२/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2018/1162 पुनः नम्बर पर लिखा जाता है। इस प्रकरण में कार्यवाही शेष नहीं होने से यह प्रकरण समाप्त किया जाता है।</p>	<p>[28-3-18/प्र.क्र./36 LRC/2018/1162 27/3/18VS</p> <p><i>(Signature)</i></p>

[पीछे देखिये]

अध्यक्ष